

# कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

—: आदेश :—

क्रमांक/16044 /जि.पं./शिक्षा/2017-18/

कांकेर,दिनांक 5/2 2018

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्र. /पंचा./पंग्राविवि/2012/3597/रायपुर, दिनांक 01.05.2012 के तहत राज्य शासन द्वारा शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के पालन में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 17.01.2018 में अनुमोदन उपरांत जिले में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षक पंचायत संवर्ग को समयमान वेतनमान अधोलिखित शर्तों के अधीन उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथि से स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	समयमान वेतनमान
1	शिक्षक (पंचायत)	रु. 6000-175-25000 + अध्यापन भत्ता 3500

क्र.	विकास खण्ड का नाम	शि.(पंचा.) संवर्ग का नाम	पदनाम	कार्यरत संस्था का नाम	भर्ती का प्रकार (सीधी भर्ती/पदोन्नति)	प्रथम नियुक्ति तिथि	सात वर्ष पूर्ण तिथि	समयमान देय तिथि	शैक्षणिक योग्यता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	चारामा	श्री महेन्द्र कुमार सहारे	शि.पंचा.	शा.मा.शा. जैसाकरा	सीधी भर्ती	09/07/2010	09/07/2017	09/07/2017	बी.एड.
2	चारामा	श्रीमती किरण नाग	शि.पंचा.	शा.मा.शा. बाड़ाटोला	सीधी भर्ती	10/08/2010	10/08/2017	10/08/2017	बी.एड.
3	चारामा	श्रीमती वीणा ठाकुर	शि.पंचा.	शा.मा.शा. मयाना	सीधी भर्ती	23/06/2010	23/06/2017	23/06/2017	बी.एड.
4	चारामा	श्री निखलेश कुमार बिलारे	शि.पंचा.	शा.मा.शा. मैनपुर	सीधी भर्ती	14/07/2010	14/07/2017	14/07/2017	बी.एड.
5	चारामा	कु.तरुणा मंडावी	शि.पंचा.	शा.मा.शा. लखनपुरी	सीधी भर्ती	11/11/2010	11/11/2017	11/11/2017	बी.एड.
6	चारामा	श्रीमती नमिता जैन	शि.पंचा.	शा.मा.शा. मरकाटोला	सीधी भर्ती	21/06/2010	21/06/2017	21/06/2017	बी.एड.
7	चारामा	श्री रूपचंद साहू	शि.पंचा.	शा.मा.शा. मयाना	सीधी भर्ती	17/06/2010	17/06/2017	17/06/2017	बी.एड.
8	चारामा	कु.लक्ष्मी जैन	शि.पंचा.	शा.मा.शा. चांवड़ी	सीधी भर्ती	16/06/2010	16/06/2017	16/06/2017	बी.एड.
9	चारामा	कु.राखी सुरोजिया	शि.पंचा.	शा.मा.शा. जैसाकरा	सीधी भर्ती	16/06/2010	16/06/2017	16/06/2017	बी.एड.
10	चारामा	श्रीमती रोशनी ठाकुर	शि.पंचा.	शा.मा.शा. टहकापार	सीधी भर्ती	16/06/2010	16/06/2017	16/06/2017	बी.एड.
11	चारामा	श्री चुलेन्द्र कुमार सिन्हा	शि.पंचा.	शा.मा.शा. किलेपार	सीधी भर्ती	04/10/2010	04/10/2017	04/10/2017	बी.एड.
12	चारामा	श्रीमती टकेश्वरी गंजीर	शि.पंचा.	शा.मा.शा. खैरखेड़ा	सीधी भर्ती	30/08/2010	30/08/2017	30/08/2017	बी.एड.
13	चारामा	श्री सौरभ राठौर	शि.पंचा.	शा.मा.शा. खैरखेड़ा	सीधी भर्ती	18/06/2010	18/06/2017	18/06/2017	बी.एड.

दिए  
3-2-18

उक्त समयमान वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के तहत देया होगा :-

1. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षक पंचायत कर्मचारियों जो स्नातक है, उन्हें 01.04.2012 की स्थिति में सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उक्त समयमान वेतनमान देय होगा।
2. समयमान वेतनमान में मूल वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2012 से 51 प्रतिशत की दर पर महंगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा। वित्त विभाग की अनुमति से समय-समय पर महंगाई भत्ते में वृद्धि की जावेगी। स्पष्ट किया जाता है कि मूल वेतन पद 51 प्रतिशत महंगाई भत्ते की गणना की जायेगी।
3. शिक्षक (पंचायत) संवर्ग स्नातक योग्यताधारी कर्मचारियों को सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उपर दर्शित वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर निर्धारित होंगे। सात वर्ष से अधिक की प्रत्येक एक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए समयमान वेतनमान की एक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा।
4. उपरोक्तानुसार सात वर्ष की सेवा अवधि में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के जिन शिक्षकों ने निरंतर शैक्षणिक कार्य किया हो।
5. प्रश्नाधीन अवधि में शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के संबंधित शिक्षक किसी प्रकार से दण्डित न हुआ हो।
6. उप संचालक,स्थानीय नीधि संपरीक्षा से सेवा पुस्तिका की जांच एवं वेतनमान सत्यापन उपरांत ही समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावेगा।

Dillu  
3.2.18  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत  
उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. कं./16045/जि.पं./शिक्षा/2017-18/  
प्रतिलिपि :-

कांकेर दिनांक 5/2/2018

1. संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर (छ.ग.) के सादर सूचनार्थ।
2. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक, पंचायत संचालनालय, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन,द्वितीय तल, मंत्रालय, नया रायपुर को सूचनार्थ।
4. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सादर सूचनार्थ।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत चारामा जिला उ.ब.कांकेर को सूचनार्थ।
7. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड भानुप्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती/सुश्री.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. व्यक्तिगत नस्ती/आदेश नस्ती गार्ड फाईल हेतु।

Dillu  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
जिला पंचायत  
उत्तर बस्तर कांकेर

# कार्यालय जिला पंचायत उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

zp-kanker.cg@nic.in

Office Tel. No. 07868-241282, Fax No. 07868-241482

// आदेश //

क्रमांक/16046/जि.पं/शि.पं./2017-18

कांकेर दिनांक 5 /02/2018

संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय, डी.के.एस.भवन. रायपुर का आदेश क्रमांक/ पंचा./ग्रा.विवि./22/2012/3597/ रायपुर दिनांक 01.05.2012 के तहत राज्य शासन, द्वारा शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों को नियमानुसार समयमान वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश के पालन में सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 17.01.2018 में अनुमोदन उपरांत जिले में कार्यरत शिक्षक पंचायत संवर्ग को समयमान वेतनमान निम्नलिखित शर्तों के अधीन उनके नाम के सम्मुख दर्शित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र.	शिक्षक (पंचायत) संवर्ग	समयमान वेतनमान
1	व्याख्याता (पंचायत)	रु. 7000-200-30000 + अध्यापन भत्ता 4500

उक्त समयमानवेतनमान निम्नलिखित शर्तों के तहत देय होगा:-

- 1/ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के शिक्षक पंचायत कर्मचारियों जो स्नातक है उन्हें 01.04.2012 की स्थिति में सात वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर उक्त समयमान वेतनमान देय होगा।
- 2/ समयमान वेतनमान में मूल वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षक (पंचायत) संवर्ग उपरोक्त कर्मचारियों को दिनांक 01.04.2012 से 51 प्रतिशत की दर पर मंहगाई भत्ता प्रदान किया जायेगा। वित्त विभाग की अनुमति से समय-समय पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जावेगी। स्पष्ट किया जाता है, कि मूल वेतन पद 51 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की गणना की जायेगी।
- 3/ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग स्नातक योग्यताधारी कर्मचारियों को सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले उपर दर्शित वेतनमान के सबसे निचले स्तर पर निर्धारित होंगे। सात वर्ष से अधिक की प्रत्येक एक वर्ष की पूर्ण सेवा के लिए समयमान वेतनमान की एक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगा।
- 4 / उरोक्तानुसार सात वर्ष की सेवा अवधि में शिक्षक पंचायत संवर्ग के जिन शिक्षकों ने निरंतर शैक्षणिक कार्य किया हो।
- 5/ प्रश्नाधीन अवधि में शिक्षक पंचायत संवर्ग के संबंधित शिक्षक किसी प्रकार से दण्डित न हुआ हो।
- 6/ उप संचालक,स्थानीय निधि संपरीक्षा से सेवा पुस्तिका का जांच एवं वेतनमान सत्यापन उपरांत ही समयमान वेतनमान का लाभ दिया जावे।

स.क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यरत संस्था का नाम	विकास खण्ड का नाम	भर्ती का प्रकार (सीधी/पदोन्नति से)	शासकीय सेवा में नियुक्ति का दिनांक	सात वर्ष सेवा पूर्ण तिथि	समयमान देय तिथि	बी.एड.एवं डी.एड. योग्यता उत्तीर्ण का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	श्री प्रदीप कुमार सेन	व्या.पंचायत	शा.उ.मा.वि. कोटोला	चारामा	सीधी भर्ती	24.06.10	24.06.17	24.06.17	डी.एड.
2	श्री रोमनाथ साहू	व्या.पंचायत	शा. हाई स्कूल अरौद	चारामा	सीधी भर्ती	16.06.10	16.06.17	16.06.17	बी.एड.
3	चंचल चन्द्राकर	व्या.पंचायत	शा.क.उ.मा.वि. चारामा	चारामा	सीधी भर्ती	15.06.10	15.06.17	15.06.17	बी.एड.
4	श्री गिरधर दास साहू	व्या.पंचायत	शा.उ.मा.वि. कुरुटोला	चारामा	सीधी भर्ती	21.06.10	21.06.17	21.06.17	बी.एड.
5	श्री मुकेश कुमार भारद्वाज	व्या.पंचायत	शा.उ.मा.वि. आंवरी	चारामा	सीधी भर्ती	16.06.10	16.06.17	16.06.17	बी.एड.

3-2-18

